न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 37 / 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 58
दायर दिनांक :– 21.02.2025 निर्णय दिनांक :– 04.03.2025

1. सरोज पत्नी लालचंद जाति राठी निवासी सांवरा गांव तहसील बाप जिला फलोदी
प्रार्थीया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)
अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री बुधाराम विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीया
2. अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का इस आशय से पेश कर रखा है जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम नोख में खसरा नम्बर 199 / 3251 / 1 रकबा 25–00 बीघा किस्म बंजड भूमि सरोज पत्नी लालचंद राठी पुत्र नखतमल जाति राठी साकिन सांवरा गांव तहसील बाप जिला फलोदी गैर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम नोख में नामान्तरकरण संख्या 154 द्वारा आवंटन खसरा नम्बर 199 / 3251 रकबा 75–00 बीघा किस्म बंजड भूमि सुगनसिंह पुत्र फतेसिंह जाति राणा राजपूत निवासी नोख गैर खातेदार को आवंटन हुई। उक्त भूमि ग्राम नोख में नामान्तरकरण संख्या 345 द्वारा खसरा नम्बर 199 / 3251 उक्त आवंटी को खातेदारी अधिकार दिये गये। ग्राम नोख के नामान्तरकरण संख्या 654 बैचान द्वारा सम्पूर्ण खसरा नम्बर 199 / 3251 / 1 रकबा 25–00 बीघा भूमि लक्ष्मी देवी पत्नी गोपीलाल जाति महेश्वरी भैया निवासी नोख खातेदार दर्ज हुआ। ग्राम नोख के नामान्तरकरण संख्या 928 बेचान द्वारा खसरा नम्बर 199 / 3251 / 1 रकबा 25–00 बीघा की खातेदारी भूमि लक्ष्मी देवी पत्नी गोपीलाल जाति महेश्वरी भैया निवासी नोख खातेदार से सरोज पत्नी लालचंद जाति राठी निवासी सांवरा गांव तहसील बाप जिला फलोदी के नाम से नामान्तरकरण भरते समय लिपिकीय त्रुटि से गैर खातेदार दर्ज हो गया जो कि आज दिनांक तक गैर खातेदार दर्ज है। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार की दुरूस्ती किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप स्वंय उपस्थित। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि ग्राम नोख पटवार हल्का नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 199 / 3251 / 1 रकबा 25–00 बीघा भूमि सरोज पत्नी लाचंद जाति राठी निवासी सांवरा गांव के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 154 द्वारा खसरा नम्बर 199 / 3251 रकबा 75–00 बीघा सुगनसिंह पुत्र फतेसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी नोख को गैर

04/3/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

खातेदारी की आवंटन हुई। नामान्तरकरण सख्या 345 द्वारा गैर खातेदारी मे दर्ज की गई। नामान्तरकरण संख्या 654 बेचान द्वारा खसरा नम्बर 199/3251/1 रकबा 25-00 बीघा भूमि लक्ष्मी देवी पत्नी गोपीलाल जाति महेश्वरी भैया निवासी नोख खातेदार दर्ज है। नामान्तरकरण सख्या 928 बेचान द्वारा भूमि लक्ष्मी देवी पत्नी गोपीलाल जाति महेश्वरी भैया निवासी नोख खातेदार द्वारा सरोज पत्नी लालचंद जाति राठी निवासी सांवरा गांव के नाम से बेचान का नामान्तरकरण भरते समय लिपिकीय त्रुटि से खातेदार से गैर खातेदार दर्ज है जो कि आज दिनांक तक गैर खातेदारी दर्ज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार गैर खातेदार से शुद्वि की जाकर खातेदारी भूमि दर्ज किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि प्रार्थीया की ग्राम नोख में खसरा नम्बर 199/3251/1 रकबा 25-00 बीघा किस्म बंजड भूमि सरोज पत्नी लालचंद राठी पुत्र नखतमल जाति राठी साकिन सांवरा गांव तहसील बाप जिला फलोदी गैर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम नोख में नामान्तरकरण संख्या 154 द्वारा आवंटन खसरा नम्बर 199/3251 रकबा 75-00 बीघा किस्म बंजड भूमि सुगनसिंह पुत्र फतेसिंह जाति राणा राजपूत निवासी नोख गैर खातेदार को आवंटन हुई। उक्त भूमि ग्राम नोख में नामान्तरकरण संख्या 345 द्वारा खसरा नम्बर 199/3251 उक्त आवंटी को खातेदारी अधिकार दिये गये। ग्राम नोख के नामान्तरकरण संख्या 654 बैचान द्वारा सम्पूर्ण खसरा नम्बर 199/3251/1 रकबा 25-00 बीघा भूमि लक्ष्मी देवी पत्नी गोपीलाल जाति महेश्वरी भैया निवासी नोख खातेदार दर्ज हुआ। ग्राम नोख के नामान्तरकरण संख्या 928 बेचान द्वारा खसरा नम्बर 199/3251/1 रकबा 25-00 बीघा की खातेदारी भूमि लक्ष्मी देवी पत्नी गोपीलाल जाति महेश्वरी भैया निवासी नोख खातेदार से सरोज पत्नी लालचंद जाति राठी निवासी सावंरा गांव तहसील बाप जिला फलोदी के नाम से नामान्तरकरण भरते समय लिपिकीय त्रुटि से गैर खातेदार दर्ज हो गया जो कि आज दिनांक तक गैर खातेदार दर्ज है। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार की दुरूस्ती किये जाने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने भी उपस्थित हो कर बताया कि ग्राम नोख पटवार हल्का नोख के खसरा नम्बर 199/3251/1 रकबा 25-00 बीघा भूमि के पूर्व खातेदार लक्ष्मी देवी पत्नी गोपीलाल जाति माहेश्वरी भैया निवासी नोख के नाम खातेदार दर्ज अभिलेख थी। लक्ष्मीदेवी द्वारा उक्त भूमि सरोज पत्नी लालचंद जाति राठी निवासी सांवरा गांव को बेचान कर दी गयी। बेचान का नामान्तरकरण भरते समय प्रार्थीया को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीया के नाम दर्ज भूमि को गैर खातेदार से खातेदार शुद्व किया जाना उचित है।

अधिवक्ता प्रार्थीया एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी, नामान्तरकरण, नक्सा ट्रेस, तहसीलदार बाप का जवाब, पटवारी हल्का की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम नोख के खसरा नम्बर 199/3251/1 रकबा 25-00

04/3/25
सहायक ...
बाप ...

बीघा स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीया ने पूर्व खातेदार लक्ष्मी देवी पत्नी गोपीलाल से खरीद की थी। खरीद के समय उक्त भूमि राजस्व अभिलेख मे खातेदारी की दर्ज थी। प्रार्थीया ने अपने नाम खरीद अनुसार नामान्तरकरण भरा गया परन्तु नामान्तरकरण संख्या 928 भरते समय प्रार्थीया को खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। जबकि पूर्व खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी जो तथ्य पैरोकार सरकार के जवाब से स्पष्ट है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नोख पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 199/3251/1 रकबा 25–00 बीघा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज गैर खातेदार को दुरूस्त किया जाकर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/03/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)